21/10/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार डूंगला का जवाब प्राप्त हुआ जिसको शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार डूंगला ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम नंगावली के खाता सं. 445 में नकल जमाबन्दी संवत 2073-76 में वर्णित आराजी नम्बर 3191/1845 रकबा 0.2168 हे. भूमि लगान 0.88 के प्रार्थीया के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीया के नाम नकल जमाबन्दी में दर्ज रकबा के मुकाबले नक्शा में रकबा बरारी करने पर रकबा 0.1930 हे. ही आता है जबकि जमाबन्दी में दर्ज रकबा के मुकाबले 0.0238 हे. भूमि नक्शे में

→

उपखण्ड अधि
डूंगला

कम तरमीम है। जमाबन्दी में दर्ज रकबा के अनुसार काबिज होने से भू. अ. निरीक्षक नेगावली, पटवारी हल्का नेगावली की रिपोर्ट के अनुसार मौका की स्थिति के अनुसार दक्षिण की तरफ डेढ़ गट्ठा चौड़ाई में बढ़ाई जाकर नक्शे में तरमीम शुद्ध किया जाना तहसीलदार डूंगला द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इस पर वकील प्रार्थिया की बहस को सुना गया। वकील प्रार्थिया ने बहस में कथन किया गया कि तहसीलदार डूंगला से प्राप्त रिपोर्ट एवं नवीन प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के अनुसार प्रार्थीया की खातेदारी आराजी के दक्षिण की तरफ डेढ़ गट्ठा चौड़ाई में बढ़ाया जाने से जमाबन्दी में दर्ज रकबा पूरा हो जाता है। इसी अनुसार नक्शा ट्रेस में शुद्ध करने का आदेश जारी किया जावे। इस पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, तहसीलदार डूंगला से प्राप्त रिपोर्ट व राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन कर परीक्षण किया गया बाद जांच परीक्षण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट के तहत सही पाया जाने से राजस्व नक्शे में तरमीम शुद्ध किया जाना न्यायोचित होकर उचित है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की प्रति पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार डूंगला को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला